संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष का नेता

डॉ. भगवानदास अहिरवार
प्राध्यापक, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

संसदीय प्रजातंत्र में सरकारों का गठन निर्वाचन के माध्यम से प्राप्त बहुमत के आधार पर होता है। ये सरकारें बहुमत के सबल एवं सत्ता के दम्भ में वशीभूत होने के कारण स्वयं इस स्थिति में नहीं होतीं कि अपने द्वारा निष्पादित कार्यों तथा निर्मित नीतियों का तार्किक व औचित्यपूर्ण मूल्यांकन कर सकें। इस पुनीत उद्देश्य के निर्मित विपक्ष के रूप में सरकार को हमेशा एक ऐसी समकालीन संस्था की आवश्यकता होती है, जो न केवल उसके कार्यों एवं नीतियों का मूल्यांकन कर उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके, बल्कि सरकार को संविधान, न्याय एवं लोक कल्याण के पथ पर चलने को प्रेरित करते हुये उसका मार्गदर्शन भी कर सके। इस प्रकार संसदीय प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष सरकार रूपी गाड़ी के दो पहिये होते हैं, जिनका सत्ता की गाड़ी के संचालन में समान महत्व होता है।

संसदीय प्रजातंत्र में सत्तारूढ़ दल (सरकार) की भाँति विपक्ष का भी देश, शासन व आम जनता के प्रति सुनिश्चित दायित्व होता है, जिसके निर्वहन हेतु उसे एकता, सजगता एवं अनुशासन के साथ निर्धारित मार्ग का अनुगमन करना होता है। इस मार्ग के अनुगमन हेतु उसे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो विपक्ष को नियंत्रित, निर्देशित करते हुये उसका नेतृत्व कर सके। इस नेतृत्व करने वाले पद अथवा व्यक्ति को ही संसदीय प्रजातंत्र में विपक्षी नेता (leader of opposition) के नाम से जाना जाता है। विपक्षी नेता सरकार के भय एवं आतंक से आम जनता के अधिकारों की रक्षा तो सुनिश्चित करता ही है, साथ ही सरकार पर अंकुश लगाकर उसे सदैव जन वायदों को पूरा करने व कानून की सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने को विवश भी करता है।

विभिन्न संसदीय प्रक्रिया एवं नियमों के तहत विपक्षी नेता के पद को कई स्वरूपों में परिभाषित किया गया है यथा -

(1) ब्रिटिश क्राउन एक्ट 1937 के अनुसार 'हाऊस ऑफ कामन्स' का वह सदस्य, जो उस समय सदन में सरकार का विरोध करने वाले दल का नेता हो एवं जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है।''[1]

(2) ''इनसाइक्लोपीडिया ऑफ पार्लियामेण्ट के अनुसार''

"In member of the House of common, who is for the time being the leader in that house for the party in opposition of the government having the great numerical strength"[2]

(3) आस्ट्रेलिया में जिन दलों की सदस्य संख्या सदन की कोरम संख्या से अधिक होती है तथा वो सरकार में शामिल

ISSN 2395-051X

नहीं होते, उन्हें दलीय नेता के रूप में मान्यता दी जाती है, चाहे वे सरकार के विरोधी हों अथवा बाहर से सरकार के समर्थक।

(4) ''अरूणाचल प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया नियम 2 के अनुसार''

"Leader of the opposition means the leader of the largest recognised party of group in the opposition and recognised as such by the speaker"[3]

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में भी विपक्षी नेता को लगभग उपरोक्तानुसार ही परिभाषित किया गया है।

(5) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों की उपलब्धियाँ एवं पेंशन अधिनियम 232 (ज) 1980 के तहत ''नेता विरोधी दल का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है, जिसे यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा तत्समय इस रूप में अभिजात किया गया हो।''[4]

''1977 में केन्द्रीय जनता पार्टी के शासनकाल में संसद द्वारा पारित प्रतिपक्ष का नेता वेतन भत्ते अधिनियम के अनुसार'' लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों मे जो दल सरकार के विरोध में हो, उनमें से सबसे अधिक संख्या वाले दल के नेता को प्रत्येक सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जावेगी, निर्णय पीठासीन अधिकारियों के हाथ में होगा।''[5]

इस अधिनियम से स्पष्ट होता है कि विपक्षी दल का सत्तारूढ़ दल के बाद सदन में केवल दूसरा स्थान ही नहीं होना चाहिये, बल्कि उसे सरकार का विरोधी भी होना चाहिये। दूसरे शब्दों में, वह दल जो सदन में सत्तारूढ़ दल के बाद दूसरे स्थान पर है, परन्तु सरकार का समर्थक है, तो उसके नेता को प्रतिपक्ष का नेता नहीं माना जा सकता।

यहाँ पर यह मुद्दा विचारणीय है कि यदि संसद के दोनों सदनों में अथवा राज्यों के किसी विधानमण्डल में छोटे-छोटे विरोधी दल का एक घटक या मोर्चे का निर्माण कर लेते हैं तथा मोर्चे के सदस्यों की संख्या सत्ता पक्ष के बाद द्वितीय स्थान पर आती हो, तो क्या उस मोर्चे के अध्यक्ष या नेता को सदन में विपक्षी नेता के रूप में मान्यता दी जा सकती है ? इस मुद्दे पर विचार करते समय हमें निम्नलिखित सामान्य मापदण्डों पर विचार करना होगा -

(1) क्या मोर्चे में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों की स्पष्ट विचारधारा है एवं क्या उनकी नीतियों एवं कार्यक्रमों में सैद्धांतिक समानता है ?

(2) क्या मोर्चे के विभिन्न दल चुनाव/उपचुनावों के दौरान आपस में एक दूसरे के विरूद्ध अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में तो नहीं उतारते ?

(3) क्या मोर्चे का संगठन सदन के साथ-साथ सदन के बाहर भी काम कर रहा है ? अर्थात् क्या सदन के बाद उनका पृथक्-पृथक् राजनीतिक अस्तित्व तो कायम नहीं है ?

(4) क्या सदन में उत्पन्न किसी विवाद पर क्या मोर्चे के विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं के मध्य एकता कायम रहती है ?

(5) सदन में उत्पन्न किसी विवाद के समय मोर्चे में शामिल विभिन्न दलों के सदस्य किसके निर्देशों का पालन करते हैं ? अपने दलीय नेता अथवा मोर्चे के नेता (अध्यक्ष) का ?

(6) क्या मोर्चे में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह में समानता है ?

यदि कोई मोर्चा उपर्युक्त समस्त शर्तों को पूर्ण करता है, तो उस घटक को विरोधी पक्ष एवं उसके नेता को विपक्षी नेता की मान्यता दी जा सकती है, लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि केन्द्र अथवा राज्यों में विभिन्न समयों पर निर्मित विभिन्न दलों के संगठित मोर्चे उपर्युक्त शर्तों को कभी पूरा नहीं करते। पहला मुद्दा तो यही है कि किसी भी घटक में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह ही पृथक्-पृथक् होते हैं। चुनावों में मित्रवत ही सही एक दूसरे के विरूद्ध मुकाबला भी करते हैं। विवादों के समय दल के सदस्य अपने दलीय नेता का आदेश मानने को बाध्य होते हैं, न कि मोर्चे के अध्यक्ष का ? फिर उनके कार्यक्रमों एवं नीतियों में व्यवहारिक रूप से समानता भी नहीं होती। अतः ऐसी स्थिति में किसी भी मोर्चे या घटक को सामान्यतः विरोधी पक्ष एवं उसके नेता को विपक्षी नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। वैसे भारतीय संसद एवं राज्यों के विधान मण्डलों में बहुत से दल विपक्षी दल होते हैं, परन्तु मान्यता प्राप्त विपक्षी दल से आशय है सदन में सत्तारूढ़ दल के बाद सदस्य संख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान की सरकार विरोधी दल इसी दल के नेता को विरोधी पक्ष का नेता कहा जाता है। लॉर्ड कैपलिन ने इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करते हुये कहा है "विपक्ष में बहुत से राजनीतिक दल हो सकते हैं, परन्तु विपक्ष का मूल आशय है कि द्वितीय मुख्य दल ऐसा दल, जिसका नेता इतना अनुभवी हो कि समय आने पर वह वैकल्पिक सरकार का गठन कर सके।"

"नेता प्रतिपक्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि"

संसदीय शासन व्यवस्था में विपक्षी दल का नेता शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा तो है ही साथ ही भावी प्रधानमंत्री भी। इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में विपक्ष का अपना विशिष्ट महत्व है, अतः इसकी उत्पति के बीज भी हमें इसी संसदीय शासन व्यवस्था में खोजने होंगे। जैसा कि सर्व विदित है कि संसदीय शासन प्रणाली का उद्गम स्थल ब्रिटेन है। जहाँ संवैधानिक विकास की संपूर्ण यात्रा के दौरान विपक्ष अपने किसी न किसी रूप में हमेशा अस्तित्व में रहा है। औपचारिक रूप में 1828 में पहली बार कैब हाऊस द्वारा शाही प्रतिपक्ष (Royal opposition) शब्द का प्रयोग किया गया।[6] 1937 में ब्रिटिश संसद द्वारा The minister of crown act पारित किया गया।[7] इस अधिनियम के तहत विपक्ष को वैधानिक मान्यता देते हुये विपक्षी दल ने नेता को राजकोष से वेतन व अन्य सुविधायें देने का प्रावधान किया गया।

भारत में स्वतंत्रता के बाद हुये प्रथम चार आम चुनावों तक मतदाताओं के बहुमत का झुकाव एक दल विशेष के पक्ष में होने के कारण संसद एवं राज्यों के विधान मण्डलों में विभिन्न विपक्षी दलों की उपस्थिति के बावजूद उनकी निर्वाचित सदस्य संख्या बहुत ही न्यूनतम रही। कोई भी दल सदनों में इस स्थिति में नहीं रहा, जिसके अकेले जनप्रतिनिधियों की संख्या कुल सदन सदस्यता के 1/10 हो अथवा जो वैकल्पिक सरकार बनाने की क्षमता रखता हो। इस तरह 1967 तक हमारी संसद के दोनों सदन मान्यता प्राप्त विरोधी दल एवं मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष विहीन

रहे। 1967 के आम चुनावों के बाद देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। 8 प्रांतों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ एवं संसद में बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के प्रत्याशी निर्वाचित होकर पहुँचे। विपक्ष एक कारगर व निर्णायक स्थिति में उभरा। विपक्ष के इस बढ़ते हुये प्रभाव व शासन व्यवस्था में इसके महत्व को समझते हुये 1969 में प्रथम बार श्री रामसुभम सिंह को लोकसभा एवं श्री श्यामानंद मिश्रा को राज्यसभा में विपक्षी नेता की मान्यता प्रदान की गयी इसके पश्चात् 1977 में जनतापार्टी के शासनकाल के दौरान संसद द्वारा ''प्रतिपक्ष का नेता, वेतन भत्ते अधिनियम, संसद'' द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में जो दल सरकार के विरोध I में हों उनमें से सबसे अधिक संख्या वाले दल के नेता को प्रत्येक सदन के अन्दर नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्रदान करते हुये उसे केबिनेट मंत्री का दर्जा, वेतन व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम के तहत श्री यशवंतराव चव्हाण को लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दी गई तथा कांग्रेस की संसद के बाहर भी सबसे बड़े दल के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। यही नहीं विपक्षी दल के नेता को सरकार नियंत्रित संचार माध्यमों जैसे रेडियो एवं दूरदर्शन पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर भी प्रदान किया गया। तभी से यह पद हमारी संसदीय शासन व्यवस्था के एक अंग के रूप में अनवरत रूप से कार्यरत् है।

इस प्रकार ब्रिटिश शासन व्यवस्था की भाँति हमारी शासन व्यवस्था में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता का पद भी सरकारी या सार्वजनिक पद माना गया है। शासन व्यवस्था के एक अंग के रूप में इस पद को धारित करने वाले व्यक्ति को सरकार की रचनात्मक आलोचना करने एवं सुझाव देने के लिये मंत्री स्तरीय वेतन भत्ते व अन्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

विपक्षी नेता पद के लिये अपेक्षित योग्यतायें

संसदीय प्रजातंत्र में विपक्षी नेता के ऊपर भारी जिम्मेवारी होती है। उसका दायित्व कहीं भी सत्ता पक्ष के मुखिया से कम नहीं होता, चूँकि वह भावी प्रधानमंत्री होता है। अतः संसदीय जनतंत्र में जिन अर्हताओं की अपेक्षा प्रधानमंत्री से की जाती है। लगभग वही योग्यतायें विपक्षी नेता से भी अपेक्षित होती हैं यथा -

(1) उसे संसदीय प्रक्रिया का पूरा-पूरा ज्ञान हो।

(2) उसमें नेतृत्व करने एवं अपने सहयोगी विधायकों व सांसदों को समझाने मनाने की क्षमता हो।

(3) उसका व्यक्तित्व एवं .त्तिव प्रभावशाली हो।

(4) उसमें खतरों के प्रति सजगता तथा संकट का सामना करने की क्षमता होनी चाहिये।

(5) उसे कानून तथा कानून निर्माण की प्रक्रिया का गंभीर ज्ञान होना चाहिये।

(6) उसे राष्ट्र व समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी से परिचित होना चाहिये तथा संकट के समय सरकार के साथ सहयोग करने की प्रवृति होनी चाहिये।

(7) सत्ता पक्ष की रचनात्मक आलोचना व उस पर अंकुश रखने के लिये सदन के अंदर तथा बाह्य उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की उसमें तत्परता होनी चाहिये।

(8) सरकार की नीतियों की आलोचना करते समय उसमें अपने सहयोगियों की मदद से वैकल्पिक नीतियों के निर्माण व उनके क्रियान्वयन की क्षमता होनी चाहिये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विपक्षी नेता से संसदीय प्रजातंत्र में वे सब योग्यतायें अपेक्षित होती हैं, जो प्रधानमंत्री से विरोधी दल के नेता के रूप में उसे महत्वपूर्ण स्थिति व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सदन में उसे प्रधानमंत्री के एकदम सामने तथा अध्यक्ष के बायीं ओर स्थान दिया जाता है। वह सदन में सरकार से प्रश्न पूछने, काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के अलावा प्रमुख मुद्दों पर बहस की माँग कर सकता है। सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर कटौती प्रस्ताव अथवा मत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। वह सरकार के किसी भी विभाग अथवा संस्था के क्रियाकलापों के संबंध में सूचना की माँग कर सकता है। सदन की कार्यवाही का निर्धारण नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से ही होता है विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को उसकी राय लेना पड़ती है। सरकार की अकर्मण्यता सत्ता के दुरूपयोग करने पर उसके विरूद्ध आवश्वास का प्रस्ताव प्रतिपक्ष के नेता द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। उसे उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना होती है जो सरकार के विरोध में रहते हैं।

संसदीय प्रजातंत्र में नेता प्रतिपक्ष की अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में बहुमुखी जिम्मेवारी होती है। शासन व्यवस्था के संचालन में उसका दायित्व प्रधानमंत्री से किसी भी स्थिति में कम नहीं होता। बहुमत के नेता की हैसियत से यदि प्रधानमंत्री का दायित्व कुशलतापूर्वक सरकार का संचालन होता है, तो नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सरकार की आलोचना करने, उस पर अंकुश रखने एवं राष्ट्रीय संकट के समय सहयोग देने का होता है। चूँकि नेता प्रतिपक्ष सरकार रूपी हाथी के महारथी के रूप में काम करता है, परन्तु वह इस दिशा में कितनी कारगर भूमिका निभा पाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सदन में उसके दल की सदस्य संख्या एवं प्रभाव कितना है ? उसके दलीय सदस्यों में एकता व अनुशासन की स्थिति क्या है ? विपक्षी नेता अपनी दलीय संख्या की दृष्टि से जितना सशक्त एवं प्रभावशाली होगा, सरकार उससे उतनी ही सचेत एवं चौकन्नी रहेगी।

विपक्षी दल का नेता एक तरह से वैकल्पिक सरकार का नेता होता है सरकार के पराजित होने की स्थिति में उसे स्वयं सरकार बनाने की मानसिक स्थिति में अपने को तैयार रखना पड़ता है। अतः जब वह नेता प्रतिपक्ष के नाते सरकार की आलोचना करता है तो उसे स्वयं मानसिक रूप से सत्तापक्ष के नेता की स्थिति में खड़े होकर देखना होता है कि यदि वह स्वयं प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री होता तो उसकी उस मुद्दे पर नीति क्या होती ? जो वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है एवं वह जिसकी आलोचना कर रहा है। इसलिये वह केवल सरकार की आलोचना ही नहीं करता बल्कि इसके साथ अपनी व अपने दल की वैकल्पिक नीतियाँ एवं कार्यक्रम भी प्रस्तुत करता है। अतः उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह सरकार की आलोचना करते समय जो वैकल्पिक नीतियाँ एवं कार्यक्रम प्रस्तुत करे, सत्तापक्ष की पराजय के पश्चात् सरकार बनाने का अवसर मिले तो विपक्ष के रूप में उसकी घोषित नीति एवं सत्तापक्ष के रूप में उसकी क्रियान्विति या व्यवहार में कोई अंतर नहीं होना चाहिये। एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में उसे हर मुद्दे पर उचित एवं अनुचित तरीके से सरकार की आलोचना करने की कोशिश नहीं करना चाहिये। वर्तमान में प्रायः यह देखा जाता है कि, "संसद एवं विधान मण्डलों में विरोधी दल के नेतागण सरकार की खुलकर आलोचनायें

तो करते हैं, अपने सुझाव देते हैं, लेकिन जब उन्हें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है, तो उन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों को अन्जाम देते हैं, जिनकी वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में आलोचना कर चुके होते हैं। विपक्षी नेता भी उन्हीं कार्यक्रमों की आलोचना करने से नहीं चूकते, जिन्हें उन्होंने पूर्व में सत्तापक्ष के मुखिया के रूप में लागू किया था।

अतः स्वस्थ संसदीय परम्पराओं की दृष्टि से ये आवश्यक है कि विपक्षी नेता सरकार की आलोचना तो करे, परन्तु जिम्मेदारी के साथ इसी जिम्मेदारी के प्रति आगाह करते हुये लॉर्ड कैंपलिन ने कहा था कि, "विपक्ष का उद्देश्य खेल का सत्यानाश करके उसे जीतना नहीं होना चाहिये वरन् उत्तरदायित्व के साथ सरकार की आलोचना करना चाहिये।"[8] ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मैकमिलन ने भी 22 जनवरी 1963 को तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री ह्यूमगेस्टकिल के निधन पर अपनी श्रंद्धाजलि व्यक्त करते हुये कहा था कि, "विपक्ष का नेता राष्ट्र का भावी प्रधानमंत्री होता है, यदि चुनाव या सदन में सरकार पराजित हो जाये तो उसे सरकार बनाने को तैयार रहना चाहिये। इसी कारण उसे अपनी कथनी व करनी में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। राष्ट्रहित के मुद्दे पर उससे उतनी ही जिम्मेवारी अपेक्षित होती है, जितनी प्रधानमंत्री से।"[9] अपनी बात को आगे बढ़ाते हुये उन्होंने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष से अधिक कठिन तथा कम संतोषजनक स्थिति किसी की नहीं होती, उसे सरकार की आलोचना करनी पड़ती है, लेकिन साथ ही उसे अपनी प्रतिस्थापनायें व नीतियाँ भी स्पष्ट करनी होती हैं, जबकि उन्हें कार्यरूप में परिणित करने की शक्ति उसके पास नहीं होती। राष्ट्रीय संकट के समय उसे उस सरकार का साथ देना होता है, जिसका वह आलोचक रहता है, उसे अपनी यह दुहरी जिम्मेवारी सच्चे दिल से निभानी पड़ती है।"[10]

भारतीय संसदीय जनतंत्र के इतिहास में विपक्ष के नेता की भूमिका बड़ी ही गौरवपूर्ण रही है। 1969 तक भले ही हमारी संसद मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष विहीन रही हो, लेकिन अपने जन्म से ही इस पद ने भारतीय संसदीय प्रजातंत्र को अधिक मजबूत एवं परिष्ित स्वरूप प्रदान करने में अपनी अद्वितीय भूमिका का निर्वाह किया है। अपनी न्यूनताओं के बाबजूद भी विपक्षी नेताओं के विभिन्न समय पर सत्तापक्ष की आलोचना कर उसे बेनकाब करने व उसे सही मार्ग पर चलने को विवश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कई मुद्दों पर विपक्षी नेताओं जिसमें गैर मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता भी शामिल हैं, ने भारतीय जनमानस को झकझोरा है, देश की राजनीति को एक नयी दिशा दी है। सदनों में होने वाली चर्चाओं में विपक्षी नेताओं का रूख इतना सशक्त रहा है कि सरकार को उनके सामने झुकने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रहा है। मुदंडा कांड के समय वित्त मंत्री श्री टी. टी. .ष्णमचारी का त्यागपत्र भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय पर तत्कालीन रक्षामंत्री श्री .ष्ण मेनन का त्यागपत्र, बोफोर्स व प्रतिभूति घोटालों पर संयुक्त संसदीय जाँच समिति की स्थापना, इंदिरा गाँधी हत्याकांड की रपट सदन में रखने के लिये सरकार को विवश होना इत्यादि। विपक्षी नेताओं की हमारे प्रजातंत्र में कारगर भूमिका के स्पष्ट प्रमाण हैं। यद्यपि 1975 का आंतरिक आपातकाल विपक्ष को सत्ता पक्ष द्वारा नेस्तनाबूत करने का एक अपवाद भी हमारे संसदीय प्रजातंत्र के इतिहास में मौजूद है।

जहाँ एक ओर विपक्षी नेताओं ने सत्तापक्ष की आलोचना करने व उसे सही मार्ग पर चलने को विवश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं दूसरी ओर नीतियों एवं कार्यक्रमों में मतभेद के बाबजूद देश की एकता, विदेश नीति,

राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय आतंकवाद, इत्यादि मुद्दों पर सच्चे मन से सरकार को अभूतपूर्व सहयोग देकर राष्ट्रीयता व राष्ट्रभक्ति का परिचय भी दिया है। हमारे यहाँ सत्ता पक्ष एवं विपक्षी नेताओं ने हमेशा राष्ट्र एवं राजनीति को अलग-अलग मानते हुये देश के मुद्दों को सदैव दलगत राजनीति से ऊपर रखा है। विगत वर्ष जब जिनेवा के मानव अधिकार सम्मेलन में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन का प्रस्ताव लाना चाहा था, तो पाकिस्तान में वहाँ के विपक्ष के नेता मियाँ नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो सरकार की विदेश नीति के प्रस्ताव के समर्थन में जिनेवा जाने से इंकार कर दिया था, जबकि इसी संबंध में हमारे प्रतिपक्षी नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने सहर्ष पैरवी करके इस तरह की कूटनीति तैयार की थी जिससे पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापिस लेने के लिये मजबूर होना पड़ा था। आज भी जब कोई विपक्षी नेता विदेशी प्रवास पर होता है, तो आंतरिक मतभेद के बाबजूद भी वह विदेशों में सत्ता पक्ष की नीतियों की विशेष रूप से विदेश नीति की वकालत करता है।

हमारे देश में जहाँ एक ओर विपक्षी नेताओं ने सरकार की रचनात्मक आलोचना करने व अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी के निर्वाह की एक श्रेष्ठ मिसाल पेश की है वहीं दूसरी ओर सत्तापक्ष ने भी विदेशी नेताओं के प्रति अपार आदर, स्नेह एवं सहिष्णुता का परिचय दिया है। इस प्रकार हमारे संसदीय प्रजातंत्र को मजबूत स्थायी एवं परिस्त बनाने में सत्तापक्ष एवं विपक्ष की समान भूमिका रही है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सरकार के मामलों में उसके नियंत्रक एवं मार्गदर्शक की, जनता के संबंध में उसके अधिकारों के रक्षक की तथा देशहित के मुद्दों पर जिम्मेदार राष्ट्रभक्त की होती है। जहाँ प्रधानमंत्री बहुमत के अवलम्बन पर सरकार चलाता है, वहीं विपक्ष का नेता सरकारी आलोचना कर निगरानी करते हुये उसे लोक कल्याण के मार्ग से विचलित नहीं होने देता। संसदीय प्रणाली की मान्यताओं के अनुरूप यह अपरिहार्य है कि, जहाँ नेता प्रतिपक्ष का दृष्टिकोण सरकार के प्रति आलोचनात्मक होते हुये भी सृजनात्मक हो, वहीं सत्तापक्ष में भी विपक्ष के प्रति सम्मान उदारता, विनम्रता, एवं सहिष्णुता की भावना होना चाहिये। संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रतिपक्ष को सरकार नियंत्रित मीडिया पर समुचित समय व स्थान दिया जाये। समय केवल विपक्ष की आलोचना के लिये नहीं बल्कि प्रतिपक्ष को अपनी बात आम जनता के सम्मुख रखने के लिये मिलना चाहिये। दूसरा सरकार का विरोध करने के नेता प्रतिपक्ष के अधिकार को समुचित सुरक्षा व सम्मान प्रदान किया जाना चाहिये। वहीं विपक्षी नेताओं की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि, वह सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का दुरूपयोग न करें।

सत्तापक्ष का ये दायित्व है कि वह यह सोचे कि विपक्षी नेता का दल सदस्य संख्या की दृष्टि से द्वितीय क्रम पर है। अतः वह भी जनता के बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिये उसकी बात एवं सुझाव का भी कुछ औचित्य है। सत्तापक्ष के सम्मुख जहाँ गंभीर जिम्मेदारी होती है, वहीं नेता प्रतिपक्ष के समक्ष बहुमत की सरकार एवं राष्ट्रीय जिम्मेदारी। अतः दोनों के मध्य आपसी संयम एवं समझौते (सरकार की सहमति एवं नेता प्रतिपक्ष की रजामंदी) की प्रवृत्ति का होना अनिवार्य है।

ISSN 2395-05

संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिये यह अनिवार्य है कि प्रधानमंत्री, उसकी सरकार तथा विपक्षी ने उसका दल दोनों लोकतंत्र की मूलभूत प्रास्थापनाओं को स्वीकार करें। शासन करना यदि सरकार का अधिकार है तो आलोचना करना विपक्ष का। नेता प्रतिपक्ष एवं उसका दल तथा अन्य छोटे विपक्षी दल संसदीय प्रक्रिया के अंतर्ग सरकार की आलोचना कर उसे बेनकाब करते हैं, तो यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, सत्तापक्ष को इस तरह क आलोचना से विचलित अथवा उसके प्रति असहिष्णु नहीं होना चाहिये। नेता प्रतिपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी क भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उसका कार्य केवल आलोचना करना नहीं है बल्कि संसदीय प्रजातंत्र में अप जिम्मेदारी का अहसास कराते हुये स्वस्थ्य परम्पराओं को आगे बढ़ाना भी है।

सन्दर्भ

1. कौल एवं शकधर - संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार, पृष्ठ 127
2. डॉ. रिजवी अम्भार विधायनी अक्टू दिस. 1990, पृ. 12
3. डॉ. रिजवी अम्भार विधायनी अक्टू दिस. 1990, पृ. 12
4. डॉ. रिजवी अम्भार विधायनी अक्टू दिस. 1990, पृ. 12
5. कश्यप सुभाष नेता प्रतिपक्ष संकल्पता ---- वही ----
6. गुप्त शिवप्रसाद - प्रतिपक्ष एवं सरकार के संबंध विधायनी अक्टू. दिस. 10, पृ. 10
7. वही
8. गुप्त शिवप्रसाद - प्रतिपक्ष एवं सरकार के संबंध विधायनी अक्टू. दिस. 10, पृ. 10
9. वही
10. गुप्त शिवप्रसाद - प्रतिपक्ष एवं सरकार के संबंध विधायनी अक्टू. दिस. 10, पृ. 10